फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री दिनेश माली निवासी श्रीनाथ कॉलोनी ए, प्राइवेट बस स्टेण्ड के पास, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा — **प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 116 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 22.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से जरिये पत्र क्रमांक :— सू.अ. / 2025 / 119—120 दिनांक 10.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय से दिनांक 01.12.2025 को इस कार्यालय के पत्रांक — सामान्य / आरटीआई / सू0अ0 / 2025 / 112 द्वारा प्रार्थी को ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई थी। अतः निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपील अपीलार्थी को खारिज करना फरमावे। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)